राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 04/22

दायर दिनांक 15.02.2022

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. आशा पुत्र मांगू जाति बलाई
2. कैलाशी पत्नि गूदड़ जाति बलाई
3. तोलाराम पुत्र गुदड़ जाति बलाई
4. राकेश पुत्र गूदड़ जाति बलाई
5. सरोज पुत्री गूदड़ जाति बलाई
6. सिमरन पुत्री गूदड़ जाति बलाई

सर्व निवासी ग्राम करकेड़ी, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

––प्रार्थीगण

बनाम

1. गणपत पुत्र रामला जाति बलाई
2. रघूनाथ पुत्र रामला जाति बलाई
3. केशराराम पुत्र मोहन जाति बलाई
4. चेतनाराम पुत्र मोहन जाति बलाई
5. पन्नालाल पुत्र मोहन जाति बलाई
6. डूंगाराम पुत्र सुवा जाति बलाई
7. मूलाराम पुत्र सुवा जाति बलाई
8. रूघनाथ उर्फ मनोहरलाल पुत्र सुवा जाति बलाई
9. वन विभाग, उप कार्यालय वन विभाग, रूपनगढ़ जिला अजमेर
10. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू–राज0अधि0 1956

निर्णय

दिनांक 29.06.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम ग्राम करकेड़ी, पटवार हल्का करकेड़ी, भू–अ0नि0 क्षेत्र करकेड़ी के खाता संख्या 87 में ख0न0 1638/945 रकबा 0.2669 है0, ख0न0 944 रकबा 2.4270 है0, ख0न0 945 रक़बा 1.6503 है0 कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल 4.3442 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम हिस्से अनुसार कब्जे काश्त एवं संयुक्त. खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नम्बरान 1638/945, 944, 945 के पूर्व [illegible] उत्तर एवं दक्षिण चारों दिशाओं में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की खातेदारी की [illegible] भूमि [illegible] है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज काश्त अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थीगण ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.02 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश पटवारी के नाम से करवाये। सीमाज्ञान हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा मौका पर्चा दिनांक 13.01.2022 को तैयार किया गया था जिससे प्रार्थीगण सन्तुष्ट नही है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य आये दिन सींव , मेड़ को लेकर विवाद होता रहता है।

अप्रार्थीगण एवं उनके परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की सीव मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है अन्यथा वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सक़ता है। बिना वजह पड़ोसी खातेदारान के मध्य विवाद उत्पन्न होंगे। इसलिए प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर प्रार्थीगण जब भी हमेशा की तरह बुवाई, जुताई, कटाई करते है तब अप्रार्थीगण बाधा कारित करते है तब से वाद निरन्तर जारी है। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम करकेड़ी के ख0न0 1638/945 रकबा 0.2669 है0, ख0न0 944 रकबा 2.4270 है0, ख0न0 945 रकबा 1.6503 है0 भूमि के पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.02 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested